राजस्व लोक अदालत केम्प बालोतरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 123/2018

वादीगण :- 1 श्यामादेवी पत्नि ईश्वरलाल पुत्री गौरशंकर जाति ढोली निवासी जोधपुर, बनाड

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. हीरालाल पुत्र गौरीशंकर जाति ढोली निवासी जोधपुर बनाड
2. राकेश पुत्र गणपत लाल नाबालिंग जरिये माता कैलाश पत्नि गणपतलाल जाति ढोली निवासी जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

दिनांक :-15.06.2018

वादीनी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार बालोतरा प्रस्तुत की गई है।

वादीनी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम छाछरलाई कलां के ख0 न0 क्रमशः 243/113 रकबा 29.02 बीघा के उक्त आरजी मे स्थिति है। मेरे ससुर की फौतगी नापान्तरकरण संख्या 197 दर्ज करते समय विप्रार्थी संख्या – 01 व 02 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया। व उक्त आराजी में प्रार्थीनी का हक हिस्सा 1/3, विप्रार्थीगण संख्या -1 का 1/3 हिस्सा व विप्रार्थीगण संख्या -2 का 1/3 हिस्सा घोषित करने का भी निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह,पेश किये गये एवं श्यामादेवी, कैलाश व हीरालाल, के गवाह ब्यानो भी कलमबद्व किये वादीनी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि उक्त आराजी में वादीनी का 1/3 हिस्सा है जो कि नामान्तरकरण संख्या 197 में वादी संख्या -1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु वादीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया । वादीनी गौरशंकर की प्रथम श्रेणी की वारिस है।

बाद विवेचन वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम छाछरलाई कलां के ख0 न0 क्रमशः 243/113 रकबा 29.02 बीघा मे वादीनी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या -1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या -2 का 1/3 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार रेकर्ड अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा करें। डिकी पर्चा जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....

Scanned by CamScanner